

दि. 10 जनवरी 2014 को
सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन
मणिपाल – 576 104
में संपन्न होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की
असाधारण आम बैठक
की सूचना

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THE BANK SCHEDULED
TO BE HELD ON 10TH JANUARY 2014,
AT SYNDICATEBANK GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM
MANIPAL – 576 104**



Head Office : Manipal – 576 104

विषय सूची / Contents

सूचना	3
Notice	4
नोट	5
Notes	5
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पत्र	7
Attendance Slip / Entry Pass	8
प्रॉक्सी फार्म	9
Proxy Form	10

सूचना

सूचना दी जाती है कि सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक 10 जनवरी, 2014 को प्रातः 11.00 बजे सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल – 576 104 में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, आशोधन के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प(पों) को विशेष संकल्प(पों) के तौर पर पारित करने के लिए:

“संकल्प किया जाता है कि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम) तथा सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अनुसार और ऐसे अनुमोदनों को देने में उनके द्वारा निर्धारित शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो सकना और सेबी (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2009 (सेबीआईसीडीआर विनियम) और समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार तथा उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन करार, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात ‘बोर्ड’ से तात्पर्य ऐसी समिति से होगा जिसका गठन बोर्ड करता है, जिसमें बोर्ड द्वारा गठित किया गया पूंजी निर्गम समिति या बाद में गठित किया जाने वाला हो, संकल्प द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करेगा) को दी गयी है ताकि पूंजी जुटाने के लिए सेबी आई सी डी आर की विनियमावली का नियम 76(1) के अनुसार ₹88.36 (रुपये अठ्ठासी दशमलव छत्तीस मात्र) नकद के लिए ₹10/- प्रत्येक की अंकित मूल्य वाले 2,26,34,676 तक के ईक्विटी शेयरों के सृजन, ऑफर, निर्गम तथा आबंटन द्वारा अधिमान आधार पर भारत सरकार को कुल ₹200.00 करोड़ राशि (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) देने हेतु बोर्ड ने निर्णय लिया है।

‘आगे संकल्प किया जाता है कि, निर्गम के मूल्य की निर्धारण की संबंधित तिथि 11 दिसंबर 2013 होगी।’

‘आगे संकल्प किया जाता है कि, बोर्ड या निदेशक मंडल को यह प्राधिकार एवं शक्ति प्राप्त होगी कि इस प्रस्ताव में किए गए संशोधनों को या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/शेयर बाजार जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य ऐसा कोई उचित प्राधिकारी अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करने/देने और निर्गम की मंजूरी, आबंटन और उन्हें सूचीबद्ध करने के बारे में बोर्ड की सहमति से उन्हें स्वीकार करने का अधिकार होगा।’

‘आगे संकल्प किया जाता है कि, उक्त जारी किए जाने वाले शेयर बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे और वे घोषित किए जाने वाले लाभांश यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे, जो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे।’

‘आगे संकल्प किया जाता है कि, इस संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से बोर्ड या निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं, जो अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और उक्त ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठनेवाले किसी भी आपत्ति, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं जो सभी प्रलेखों और लेखनों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या उचित हों, जो आगे, शेयरधारकों की अनुमति या अनुमोदन के बिना अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना उचित या वांछनीय समझते हों या इस प्रयोजन और उद्देश्य से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारक इस पर अपना अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा दिया गया समझेंगे।’

‘आगे संकल्प किया जाता है कि, बोर्ड या निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों या बैंक के अन्य ऐसे कोई अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।’

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

सुधीर कुमार जैन

(सुधीर कुमार जैन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल

दिनांक : 14.12.2013

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SyndicateBank will be held on 10th January 2014, at 11.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104 to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution(s):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include Capital Issues Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise capital by creating, offering, issuing and allotting upto 2,26,34,676 equity shares of face value of ₹10/- each for cash at ₹88.36 (Rupees eighty eight and paise thirty six only) determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating to ₹200.00 Crore (Rupees Two hundred Crore only) on preferential basis to Government of India.

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 11th December 2013.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board or committee of the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors



(Sudhir Kumar Jain)
Chairman and Managing Director

Place : Manipal
Date : 14.12.2013

नोटः

1. बैठक के संव्यवहार के बारे में उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्यात्मक जानकारी इसके साथ संलग्न की गई है।
2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति:**
बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दि. 4 जनवरी 2014, शनिवार को कार्य समय समाप्त होने के पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक के प्र.का. मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**
कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी कंपनी अथवा किसी कॉर्पोरेट निकाय, जो कि शेयरधारक है, को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक की वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का विषयक संकल्प, विकास बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् दि. 4 जनवरी 2014, शनिवार को कार्य समय समाप्त होने के पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक के प्र.का. मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
4. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र:**
शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्रतिनिधि की उपस्थिति पर्ची पर 'प्रॉक्सी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो का उल्लेख करना चाहिए।

सेबी आई सी डी आर नियमावली के अध्याय VII के अनुसार अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटीकरण

क) अधिमान निर्गम के उद्देश्य

पूँजी पर्याप्तता हेतु बासल (II और III) की अपेक्षाओं के अनुपालन में हमेशा पूँजी वृद्धि की अत्यंत आवश्यकता है। भारत सरकार ने दिनांक 22.10.2013 के अपने पत्र एफ संख्या 11/13/2011-बी ओ ए के द्वारा सूचित किया है कि ₹200 करोड़ (₹ दो सौ करोड़ मात्र) को ईक्विटी का अधिमान आधार पर अपने पक्ष में प्रदान करने का निर्णय लिया है। बैंक को सलाह दी गई है कि इस संबंध में बैंक के बोर्ड और विभिन्न निकायों जैसे सेबी, भा.रि.बैं. आदि से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने सहित सभी प्रकार की तैयारी हेतु कदम उठाएं। इस तरह प्राप्त पूँजी का उपयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने तथा बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकता हेतु निधि उपलब्ध कराने के लिए किया जाए।

ख) भारत सरकार – बैंक के प्रवर्तक द्वारा पूरे निर्गम के लिए अभिदान दिया जाएगा।

ग) निर्गम से पहले और बाद में संभवतः शेयरधारण ढाँचा:

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (14.12.2013 को)		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत
क.	प्रवर्तक धारण (भारत सरकार)	39,82,85,671	66.17	42,09,20,347	67.39
ख.	गैर-प्रवर्तक धारण	20,36,64,284	33.83	20,36,64,284	32.61
	कुल जोड़	60,19,49,955	100.00	62,45,84,631	100.00

Notes:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.
2. **APPOINTMENT OF PROXY**
A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Saturday, the 4th January 2014.
3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of Saturday, the 4th January 2014.
4. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**
For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders / Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations

a) Objects of the Preferential Issue

With a view to comply with BASEL (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever-increasing need to raise capital. Government of India, vide their letter F.No.11/13/2011-BOA dated 22.10.2013 has decided to infuse ₹200.00 Crore (Rupees Two hundred crore only) by way of preferential allotment of equity in its favour. The Bank has been advised to take all preparatory steps in this regard including necessary approvals from the Board of the Bank and various bodies such as SEBI, RBI, etc. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

- b) The entire issue will be subscribed by Government of India – Promoter of the Bank.
- c) Shareholding Pattern before the issue and likely shareholding pattern after the Issue

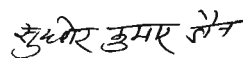
Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 14-12-2013)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (Government of India)	39,82,85,671	66.17	42,09,20,347	67.39
B	Non-Promoter Holding	20,36,64,284	33.83	20,36,64,284	32.61
	Total	60,19,49,955	100.00	62,45,84,631	100.00

- घ) बैंक यह निर्गम प्रक्रिया सेबी आई सी डी आर नियमावली में बताए गए समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है।
- ङ) प्रमुख शेयरधारक और बैंक प्रवर्तक होने के कारण यह निर्गम भारत सरकार को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, अतः इसके नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- च) निर्गम जारी होने से पहले और बाद (संभवतः) में भारत सरकार की शेयर धारिता इस प्रकार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूँजी में प्रतिशत (%)
निर्गम से पहले	39,82,85,671	66.17
निर्गम के बाद	42,09,20,347	67.39

- छ) बैंक के ईक्विटी शेयर छः महीने से ज्यादा समय से सूचीबद्ध हैं, अतः इन पर तदनुसार सेबी आई सी डी आर नियमावली के प्रावधान 76(3) और 78(5) लागू नहीं होंगे।
- ज) भारत सरकार को जारी किए गए और आबंटित शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष तक लॉक इन में रहेंगे।
- झ) सनदी लेखाकारों द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि इस नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार बनाए जा रहे निर्गम को असाधारण आम बैठक में रखा जाएगा।
- ञ) केंद्र सरकार का पूरा पूर्व अधिमान अभिधारण ईक्विटी शेयरों के आबंटन की तिथि से छः महीनों के लिए संबंधित तिथि के शुरू होने के छः महीनों तक की अवधि के लिए लॉक इन हो जाएगा।
- ट) भारत सरकार के पास रखे गए सभी शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं तथा सूचीबद्ध करार में बताए गए अनुरूप बैंक ईक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्तों का अनुपालन उस शेयर बाजार के नियमों के अनुसार करता रहेगा, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।
- ठ) संबंधित तिथि से पिछले छः महीनों के दौरान भारत सरकार ने बैंक के किसी शेयर का विक्रय नहीं किया है।
- ड) स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार के खंड 23 एवं सेबी आई सी डी आर विनियमन 2009 के विनियम 72 के शर्तों के अनुसार, बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयर ऑफर करने एवं अधिमन्यता के आधार पर शेयर आबंटन करने हेतु विशेष संकल्प के ज़रिए बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
- ढ) जहाँ कहीं भी अपेक्षित है, सेबी आई सी डी आर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार बैंक ईक्विटी शेयर का मूल्य पुनः परिकलित करेगा।
- ण) बैंक यह घोषणा करता है कि यदि पुनः परिकलित मूल्य का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित अवधि के भीतर अदा नहीं किया जाता है तो, निर्धारित प्रतिभूति तब तक लॉक-इन रहेगी जब तक की आबंटिती द्वारा उस रकम की अदायगी नहीं की जाती।
- त) आपके निदेशक विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक का इससे संबंध नहीं है या न ही इस संकल्प में उनका हित है।



(सुधीर कुमार जैन)

स्थान : मणिपाल

दिनांक : 14.12.2013

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

- d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- e) As the issue is to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.
- f) The Pre and Post issue (likely) shareholding of Government of India would be as under.

	Number of Shares	Percentage to Capital (%)
Pre-issue	39,82,85,671	66.17
Post-issue	42,09,20,347	67.39

- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.
- h) The shares issued and allotted to Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.
- i) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- j) The entire pre-preferential holding of Central Government will be locked for a period of six months commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of allotment of equity shares.
- k) All the shares held by Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- l) Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- m) In terms of Clause 23 of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-à-vis offering shares to all the shareholders of the Bank.
- n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- o) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- p) Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.



(Sudhir Kumar Jain)

Place : Manipal

Date : 14.12.2013

Chairman and Managing Director

प्रधान कार्यालय : मणिपाल

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 10 जनवरी, 2014

समय : प्रातः 11.00 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की असाधारण आम बैठक में मैं एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आइडी	
		ग्राहक आइडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आइडी	
		ग्राहक आइडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। किसी भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



Head Office : Manipal

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 10th January 2014

Time : 11.00 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			



Head Office : Manipal

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.

प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डी पी आईडी व ग्राहक आईडी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____
 सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
 निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती _____
 निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को
 सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की _____ को सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में दि. 10-01-2014
 पूर्वाह्न 11.00 बजे होनेवाली असाधारण आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से
 वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2014 के _____ माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹1/-
 का राजस्व
 टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध

1. प्रॉक्सी लिखत तभी वैध होगा जब
 - क) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आस्थासनों का रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
3. प्रॉक्सी के साथ
 - क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 04.01.2014, शनिवार को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्र.का. सिंडिकेटबैंक नैगम सूचना केंद्र, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल - 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक उस पर विधिवत् राजस्व टिकट लगा न हो।
 - क) बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
 - ख) यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाए।
 - ग) जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस लिखत से संबंधित असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
 - ङ) सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

Head Office : Manipal

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ **OR** failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 10th January, 2014 at 11.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2014.

Please
Affix
₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of SyndicateBank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of Saturday, the 04.01.2014.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
 - An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
 - In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
 - The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
 - No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

प्रिय शेयरधारक,

विषय – ई.सी.एस. (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधा जमा ।

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
क) प्रेषण में हानि
ख) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई
ग) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने लाभांशों/ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांशों को समय पर सीधे जमा करना सुनिश्चित करता है ।
3. आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ई सी एस सुविधा अनिवार्य है ।
4. ई सी एस के तहत शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी । भुगतान का अनुदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाशोधन प्राधिकारी (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा शाखा को दिया जाएगा तथा समाशोधन प्राधिकारी उस शाखा को जमा रिपोर्ट प्रेषित करेगा जहाँ शेयरधारक सदस्य ने अपना खाता रखा है। संबंधित शाखा खाते में रकम जमा करेगी तथा जमा प्रविष्टि को पासबुक/खाता विवरणी में ई सी एस के रूप में दर्ज करेगी। यह लेन-देन प्रभावी हो जाने के बाद बैंक शेयरधारक सदस्य को सीधे सूचना भेजेगा ।
5. विशेष रूप से ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक सदस्य के लिए नया बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं हैं क्योंकि शेयरधारक सदस्य के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी ।
6. लाभांशों के भुगतान के लिए यह सुविधा शुरू की गई है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्वयं के हित में इस सुविधा का लाभ उठाएं ।
7. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण कोई अधिदेशी निर्देश वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा, यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है ।
8. 'ई सी एस अधिदेश फार्म' संलग्न है और आपसे अनुरोध है कि आप बैंक खाता, जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है, का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण और आपके बैंक द्वारा प्रमाणित की गई हो। कृपया पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति और अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित एम आई सी आर कूट पंक्ति की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके ।
9. सिंडिकेटबैंक की सभी शाखाएँ सी बी एस (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रही हैं । हमारे पास बचत बैंक/चालू/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे ई सी एस अधिदेश में अपनी 14 अंकोंवाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को सीधे उनके खाते में जमा किया जा सके ।
10. भौतिक रूप में रखने वाले शेयरों के मामले में, कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेटबैंक, प्लॉट सं.17 से 24, विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081 को अग्रेषित करें ।
11. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और भविष्य में केवल लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से ही इसका उपयोग किया जाएगा ।
12. यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं तो, बैंक खाते का ब्यौरा डिपासिटरी सहभागी (डी पी) जिनके साथ डी-मैट खाता हो, के पास अद्यतन करें ।

भवदीय,

रवि

(आर. रवि)

कंपनी सचिव

दिनांक : 14.12.2013

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
 - a) Loss in transit
 - b) Fraudulent encashment by third parties
 - c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/interest etc. that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. Payment instructions would be issued electronically through the branch to the Clearing Authority (RBI) and the Clearing Authority would supply credit reports to the branch at which the shareholder member maintains the account. The concerned branch will credit the amount to the account and indicates the credit entry as ECS in the Pass Book / Statement of Account. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder member after the transaction is effected.
5. The shareholder member need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder member.
6. This facility has been introduced for payment of Dividends and we would request you to avail this facility in your own interest.
7. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
8. The 'ECS Mandate Form' is annexed and we request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and certified by your Bank. Please attach a self attested copy of PAN Card and a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.
9. All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/Current/Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the ECS Mandate for DIRECT CREDIT of dividend to their accounts.
10. Kindly send the ECS Form duly filled in respect of shares held in physical form, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. UNIT: SyndicateBank**, Plot No. 17 to 24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081.
11. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.
12. If the shares are held in Electronic form, Bank account details may be updated with the Depository Participant (DP) with whom Demat account is maintained.

Yours faithfully,



(R. RAVI)

COMPANY SECRETARY

Date: 14.12.2013

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट)
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म
ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)
ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
प्लॉट सं. 17 से 24
विठ्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद – 500 081

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : SyndicateBank
Plot No. 17 to 24
Vithalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad – 500 081

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :
2. पता/Address :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :
4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

क) बैंक का नाम
A) Bank Name :

ख) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)
B) Branch Name & City (Pin Code) :

ग) खाता संख्या (चेक बुक पर जो लिखा गया है)
C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

घ) खाते का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)
D) Account Type (Please tick) : ब.बैं. ☐ चालू ☐ नकदी उधार ☐
SB ☐ Current ☐ Cash Credit ☐
(बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
(SB Account, Current A/c or Cash Credit)

ङ) बैंक खाते का खाता बही पन्ना सं.
(यदि चेक बुक पर दिया गया है)
E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
(If appearing on the Cheque Book) :

च) बैंक द्वारा जारी किये गए एम आई सी आर चेक पर दिया हुआ
बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या

F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing
on the MICR Cheque issued by the Bank :

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित 'चेक पत्र' की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें।

Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा/DECLARATION

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही है। अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन में विलंब होता है या संपन्न ही नहीं होता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी।

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place :

दिनांक/Date :

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं।

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर

Signature of the Manager of Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का उल्लेख अवश्य करें।

NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

अनुलग्नक : 1) एकल/प्रथम शेयरधारक के 'पैन' कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति

ENCL : Self attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.

- 2) बैंक खाते से संबंधित चेक पत्र की प्रति/निरस्त किया गया चेक पत्र
Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

बुक पोस्ट
Book Post

“Permitted to post on prepayment of postage in cash in Mail Business Centre, Manipal – 576 104 under P.M.G., S.K. Region, Bangalore – 560 001 vide License No. KT/SK/BD/6/1,94,500/2013-14/14-12-2013 to 16-12-2013 with Postage of ₹4/- (Rupees four only) per article.”



यदि इसे वितरित नहीं किया जा सके तो, कृपया इस पते पर लौटा दें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड

इकाई : सिंडिकेटबैंक

प्लॉट सं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर

माधापुर, हैदराबाद – 500 081

If undelivered, please return to:

M/s Karvy Computershare (P.) Ltd.

Unit: SyndicateBank

Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar

Madhapur, Hyderabad – 500 081

info@manipalpress.com